विक्रमजीत सिंह @ विक्की

बनाम

पंजाब राज्य

24 नवम्बर, 2006

[एस.बी. सिन्हा व मारकन्डेय काटजू, न्यायाधिपतिगण]

दंड संहिता, 1860--अभियोजन मामला कि पति ने पत्नी की हत्या की- मृत्युदंड का अधिरोपण-उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया- की विशुद्धता- निर्धारित किया: उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित परिस्थितियाँ श्रृंखला में कड़ियाँ नहीं बनातीं- यह अभियुक्त की दोषिता की ओर इशारा नहीं करती- साथ ही, वे परिस्थितियों जो अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त कि विरूद्ध दोषिता का सबूत रखती है उन्हें धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत अभियुक्त के परीक्षण में उसके सम्मुख नहीं रखा गया- इस तरह निचली अदालतों के आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 313

आपराधिक विधि:

दो दृष्टिकोण- संभावना, प्रभाव- निर्धारित किया: यदि दो दृष्टिकोण प्रकट होना संभावित हो, तो अभियुक्त द्वारा उठाये गये तर्क को स्वीकार

किया जाना चाहिए- तथ्यों पर, निचली अदालतों के द्वारा दो दृष्टिकोणों की अधिसम्भाव्यता को तौला गया और राय व्यक्त की गयी कि अभियुक्त अपना मामला साबित नहीं कर सका है, अभियोजन का मामला स्वीकार किया जाना चाहिए, यह दृष्टिकोण सही नहीं है और इस तरह, इसे अपास्त किया गया- आपराधिक विधि- शास्त्र।

संदेह, यह कि अभियुक्त सभी संभावनाओं में दोषी है - प्रभाव- निर्धारित किया गयाः संदेह, हालांकि, कितना भी गंभीर हो सबूत का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता- यह केवल इस निष्कर्ष तक ले जायेगा, कि अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असमर्थ रहा।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पत्नी-एम की शादी अपीलकर्ता पति से हुई थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन एम ने अपीलकर्ता की कार में अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया। यह अभिकथित किया गया कि उसने अपने सभी गहने पहन रखे थे। कुछ घंटों के बाद, एक प्रेस रिपोर्टर को फोन आया कि जिस कार में दोनों पक्ष यात्रा कर रहे थे, की दुर्घटना हो गयी और वे दोनों घायल अवस्था में पड़े हुए थे। सूचना पाकर एम की मां अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गयीं और उन्होंने पाया कि कार एक खुली जगह पर खड़ी थी और देखा कि अपीलकर्ता और एम का सामान वहां

पड़ा हुआ था। अपीलकर्ता और एम दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एम की मृत्यु चाकू से कई चोटें लगने के कारण हुई। एम की मां ने यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई कि अपीलकर्ता ने एम की हत्या कर दी क्योंकि उसके किसी अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध थे। अपीलकर्ता को कतिपय सतही चोटें आईं। अपीलकर्ता द्वारा की गयी संस्वीकृति के अनुसरण में एक चाकू बरामद हुआ। ए के स्कूटर से कुछ आभूषण भी बरामद हुए थे। अपीलकर्ता के कथन धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किये गये। अभियोजन पक्ष ने गवाहों से पूछताछ की। मृतका की मां पक्षद्रोही हो गयी। अन्य महत्वपूर्ण गवाहों ने अभियोजन के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। हालाँकि, सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सजा दी। हाई कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा। इसलिये वर्तमान अपील हुई।

अपील को स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. यह किसी भी छिद्रान्वेंषण से परे है कि जहां एक कहानी में दो दृष्टिकोण संभावित हो, तो अभियुक्त द्वारा उठाया गया दृष्टिकोण स्वीकार किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में, दो संस्करण हैं। सत्र न्यायाधीश दोनों की अधिसंभाव्यता को तौलने के लिये अग्रसरित हुये और राय दी कि अपीलकर्ता अपना मामला साबित कर पाने में असमर्थ

रहा है, अभियोजन का मामला स्वीकार किया जाना चाहिए। सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण सही नहीं था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों को पुष्ट करने में त्रुटि की। इसलिए, निचली अदालतों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। [384-डी-ई]

के. गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [1979] 1 एससीसी 355; शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1984] 4 एससीसी 116; तोता सिंह और अन्य. बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1987) एससी 1083; दिवाकर नीलकंठ हेगड़े और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, जेटी (1996) 7 एससी 63; उड़ीसा राज्य बनाम बाबाजी चरण मोहंती और अन्य, [2003] 10 एससीसी 57 और हेम राज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, [2005] 10 एससीसी 614, पर निर्भर रहे।

1.2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने से मुक्ति नहीं देती है। केवल जब अभियोजन पक्ष का मामला साबित हो गया हो तो ऐसे तथ्यों के संबंध में भार, जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान में थे, उनके स्पष्टीकरण के लिए अभियुक्त पर अंतरित किया जा सकता है। इस नियम के कुछ अपवाद हैं उदाहरण के तौर पर एक अधिनियम के कारण भी सबूत का भार अभियुक्त पर अधिरोपित किया जा सकता है। [384-एफ-एच]

1.3 इस प्रकृति की परिस्थिति में जहां न्यायालय वैध रूप से एक प्रबल संदेह उठा सकता है कि अभियुक्त सभी सम्भावनाओं में एक जघन्य अपराध कारित करने का दोषी है परन्तु विधि के सिद्धान्त को लागू करने पर कि संदेह, हांलाकि, गंभीर हो सकता है, सबूत का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, यह केवल उस निष्कर्ष की ओर ले जायेगा, कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में समर्थ नहीं रहा है। [385-ए-बी]

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर (1984) एससी 1622: [1984] 4 एससीसी 11, पर भरोसा किया।

1.4. उच्च न्यायालय ने कथित कुछ स्वतंत्र परिस्थितियों का हवाला दिया। उनमें से कुछ ऐसी नहीं हैं जो शृंखला में कड़ियाँ बनाती हैं। वे ऐसी नहीं हैं जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों, जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हो कि केवल अभियुक्त और अभियुक्त ही अकेला ऐसा था जो कथित अपराध को कर सकता था। किसी अभियुक्त के आचरण का कारित अपराध से संबंध अवश्य होना चाहिए। यह उसके आचरण के बारे में साक्ष्य का हिस्सा अवश्य होना चाहिए जो कि अपराध कारित करने के पूर्व, दौरान अथवा पश्चात का हो, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में परिकल्पित किया गया है। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया, न ही यहां

प्राप्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से ऐसा कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा कैसे और किन परिस्थितियों में कार को रोका गया यह ज्ञात नहीं है। अभियुक्त अपनी चुप्पी बनाये रखने का अधिकारी था। केवल इसलिए कि उसने मुख्य सड़क से 13 फीट की दूरी पर कार रोकी, इससे खुद-ब-खुद यह निष्कर्ष नही निकलेगा कि उसने हमले को सुविधाजनक बनाने के क्रम में जानबूझकर ऐसा किया था। हमलावरों द्वारा क्या सड़क पर कोई अवरोधक रखे गये थे या वहां पर रखे हुए नहीं पाये गये, भी एक प्रश्न है जो अधिक महत्व नहीं रखता है क्योंकि ऐसी कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लायी गई। यदि कुछ व्यक्ति सड़क पर खड़े हो जाते हैं यह ड्राइवर के लिए अपने वाहन को रोकने के लिए पर्याप्त हो सकता है। [386-डी-जी]

1.5. केवल यह सूचना क्यों दी गई कि दुर्घटना हुई है जो कि वास्तव में एक डकैती थी, यह फिर से एक ऐसा मामला है जो अभियुक्त की दोषिता की ओर इशारा नहीं करता है। किसी के द्वारा सूचना एक प्रेस रिपोर्टर को दी गई थी। वह शायद खुलासा नहीं करना चाहता हो कि मृतका मर चुकी है या उस समय उसका पति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। यह आचरण का एक कुदरती तरीका है। किसी भी घटना में किसी तीसरे व्यक्ति का आचरण पूरी तरह से अप्रासंगिक है जब तक कि उसका अपराध को साबित करने में सीधा सम्बंध न हो।[386-जी-एच; 387-ए]

1.6 ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी कि जब अपीलकर्ता का भाई एम के मृत शरीर और अपीलकर्ता को अस्पताल लाया हो और उसने घटना के आसपास की परिस्थितियों के बारे में जिसमें घटना घटी, डॉक्टरों को सूचित नहीं किया हो परन्तु फिर से यह अपीलकर्ता के भाई के आचरण से संबंधित है ना कि अपीलकर्ता के आचरण से। भाई को परीक्षित नहीं किया गया है। चिकित्सक को परीक्षित किया गया परन्तु अभियोजन ने भाई के आचरण के संबंध में या अन्यथा उससे कोई प्रश्न नही पूछा, यद्यपि, पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया गया था और वह अस्पताल पहुंच गई थी। केवल मां का कथन अस्पताल में अभिलिखित किया गया था। इसलिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस को सूचना ही नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता द्वारा डॉक्टर से पुलिस को सूचित न करने के अनुरोध का कथित आचरण उन परिस्थितियो के संबंध में जिसमें उसे और उसकी पत्नी को चोटें आईं, फिर से ऐसी परिस्थितिया नहीं है जो अभियुक्त की दोषिता की ओर इशारा करती हो। इसके अलावा, हो सकता है कि भाई पुलिस के पास नहीं गया हो परन्तु तथ्यों के अनुसार वह उनको अस्पताल लेकर आया था, यह अनुसंधान अधिकारी के लिए था वह उसका बयान अभिलिखित करें। [387-बी-डी]

1.7 अपीलकर्ता की दोषिता को साबित करने के लिए परिवार की प्रतिक्रिया ज्यादा महत्व नहीं रखती। यह उन परिस्थितियों की ओर नहीं ले

जाती जो श्रृंखला की कड़ी बनाती हो। यहां तक कि अपीलकर्ता के शरीर पर पायी गई चोटों की प्रकृति परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं बनाती जो अभियोजन के मामले को साबित कर सके। चिकित्सक ने राय दी है कि चोटें क्रमांक 1, 4, 5 और 6 मित्रवत कारण से हो सकती हैं लेकिन उन्होंने अन्य चोटों के बारे में ऐसा नहीं बताया है। निचली अदालतों ने उसके प्रभाव पर विचार नहीं किया है।[387-ई-जी]

1.8. अभियोजन पक्ष के गवाह मुकर गए। यह उनकी ओर से बेईमानी का कार्य हो सकता है परन्तु इस कारण से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता एक जघन्य अपराध को कारित करने का दोषी है। उनके जिरह में किये गये कथनों के विचार में जो कुछ उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में कहा गया उसको वे पूरी तरह खारिज कर देते है, उनके कथनों के एक भाग पर भरोसा करना संभव नहीं है। [387-जी-एच]

1.9. अभियोजन के अनुसार वे परिस्थितियाॅभियुक्त के विरूद्ध दोषिता के सबूत की ओर ले जाती है, उनको अभियुक्त की धारा 313 द.प्र.सं. के अधीन परीक्षण में उसके सम्मुख रखा जाना था। ऐसा नहीं किया गया। [388-ए]

तारा सिंह बनाम राज्य, एआईआर (1951) एससी 441, संदर्भित

1.10 अपीलकर्ता द्वारा की गई कथित स्वंस्वीकृति के अनुरूप एक चाकू बरामद किया गया। कथन साक्ष्य में स्वीकार्य था परन्तु चाकू घटना स्थल से बरामद हुआ था जो तथ्य की एक खोज की कोटि में आता है और इससे अधिक कुछ नहीं था, इसलिए यह ज्यादा साक्ष्यिक मूल्य नहीं रख सकता। इसके अलावा, चाकू की बरामदगी अकेले दोषिता के निष्कर्ष पर पहूॅचने के पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि कुछ आभूषण ए से बरामद किए गए हों परन्तु ऐसी बरामदगी अपीलकर्ता के हवाले से नहीं की गई थी। इसे एक सांयोगिक बरामदगी कहा गया। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता पी. डब्ल्यू. 8 को जानता था जिसने बरामदगी यह कहते हुए साबित की है कि ए अपना स्कूटर छोड़कर भाग गया। फिर भी उसने अपने प्रतिपरीक्षण में इनकार किया है कि कथित आभूषण मृतका ने अपने शरीर पर पहने हुए थे। [388-ई-एच]

कोरा घासी बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर (1983) एससी 360 : [1983] 2 एससीसी 251,

पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1459/2005

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय स्थित चंडीगढ़ के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 25-8-2005 में सीआरएल. ए. क्रमांक 296-डीबी/2005 और हत्या सन्दर्भ संख्या 7/2005 से।

एस.जसपाल सिंह, विपिन गोगिया, जसप्रीत गोगिया, विनीता गोयल और गिरींदर पाल सिंह अपीलकर्ता की ओर से

कवलजीत कोचर, डी. झा और अरुण के. सिन्हा प्रत्यर्थी की ओर से

अदालत का निर्णय सुनाया गया द्वारा

एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति. अपीलकर्ता और मृतका मीना रानी की शादी 03.03.2002 को हुई थी। 03.07.2002 को वह अपने माता-पिता के घर गई। 7 जुलाई 2002 को अपीलकर्ता उसे वापस लाने के लिए घाल कलां गांव में उसके माता-पिता के घर गया। उन्होंने शाम लगभग 7:30 बजे अपीलकर्ता की मारुति कार में अपनी यात्रा शुरू की। कथित रूप से उस समय उसने अपने सारे सोने के आभूषण पहन रखे थे। लगभग कुछ घंटों के बाद, एक स्थानीय प्रेस रिपोर्टर राकेश कुमार के मेडिकल स्टोर पर एक टेलीफोन काल प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि अपीलकर्ता और उसकी पत्नी की कार बुकन वाला के पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और वे चोटिल अवस्था में पड़े है। फोन करने वाले ने कथित तौर पर सूचित किया था कि वह दुर्घटना के उक्त स्थान के लिए रवाना हो रहा है और अपीलकर्ता की मां

अमरजीत कौर को उसी स्थान पर पहुचना चाहिए। उक्त सूचना मिलने पर अमरजीत कौर, उसकी पड़ौसन कुसुम लता पत्नि राजिंदर कुमार और उसका बेटा दीपक कुमार घटना स्थल पर पहुचे और देखा कि मारूति कार नहर माईनर के पास दाहिनी ओर एक खुले स्थान पर खड़ी है। अपीलकर्ता का मोबाईल फोन और मृतका का एक जूता कुछ सामान के साथ कार की पिछली तरफ पड़ा हुआ था। टूटी हुई चूडिया बिखरी हुई मिलीं और मृतका का दूसरा जूता भी पास में पड़ा मिला। वे अपीलकर्ता के घर गए और उन्हें पता चला कि वे दोनों अस्पताल में भर्ती है। मोगा के सिविल अस्पताल पहुचने पर, उन्होंने पाया कि मीना रानी मृत हो गई थी, उसे चाकू से कई चोटें लगी थी। उसने एक सोने की बाली, दो सोने की अंगूठिया, एक चांदी की अंगूठी, चांदी की पाजेब और बिशू पहन रखी थी। उक्त अमरजीत कौर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने चाकू से चोटें मारकर उसकी हत्या कर दी। उसे संदेह था कि अपीलकर्ता के किसी अन्य लड़की के साथ अवैध सम्बंध थे और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने उसकी बेटी की हत्या कर दी थी।

मृतका के शरीर पर 23 चोटें पाई गईं। उनमें से कुछ पर चाकू से वार किये गये थे। अपीलकर्ता के शरीर पर चोटें इस प्रकार थी

1. छाती के पीछे की ओर कंधे के शीर्ष से 23 सेमी. नीचे मध्य रेखा से 11 सेमी. बांई ओर क्षैतिज रूप से 1.5 × 1 1/4 सेमी. का सतही पुच्छल्ला कटा हुआ घाव।

2. बायीं ऊपरी भुजा के मध्य भाग के पार्श्व पहलू पर 2 सेमी. रैखिक घर्षण।

3. बांयी ऊपरी भुजा के पाश्र्व पहलू पर कोहनी से 12 सेमी. ऊपर 1-1/3 × 1-1/3 सेमी. फटा हुआ और छिदा हुआ घाव।

4. दाहिनी अग्र भुजा के सामने 3.75 × 1 सेमी. का सतही कटा हुआ घाव कलाई से 9 सेमी. ऊपर क्षैतिज रूप से अवस्थित।

5. दाहिनी अग्र भुजा के सामने 6 × 1-1/2 सेमी. का सतही कटा हुआ घाव, चोट संख्या 4 से 8.5 सेमी. ऊपर क्षैतिज रूप से अवस्थित ।

6. दाहिनी अग्र भुजा के सामने 2 × 1/2 सेमी. का सतही कटा हुआ घाव, चोट संख्या 5 से 3 सेमी. ऊपर क्षैतिज रूप से अवस्थित।

7. खोपड़ी के बायीं ओर 1/4 × 1-1/2 सेमी. की खरोंच सहित 5 × 1/4 सेमी. का कटा फटा घाव, पिन्ना से 7 सेमी. तथा पश्च केश रेखा से 13 सेमी.।

8. खोपड़ी के दाहिनी ओर 2.5 × 2.5 सेमी. की सूजन, पिन्ना से 10 सेमी. दाहिने, पश्च केश रेखा से 15 सेमी.।

9. खोपड़ी के दाहिनी ओर 1-1/2 × 1-1/2 सेमी. की सूजन, पिन्ना से 11 सेमी. व पश्च केश रेखा से 9 सेमी.।

10. दाहिने कपालीय क्षेत्र पर 6 सेमी. रैखिक घर्षण।

11. बाएं घुटने के पार्श्व पहलू पर 3 सेमी. रैखिक घर्षण।

डाक्टर ने राय दी:

> ''रोगी होश में था। सामान्य स्थिति ठीक थी। वह ठीक था। समय और स्थान में उन्मुख। चोटें संख्या 7, 8, 9 को एक्स-रे की सलाह दी गई। शेष साधारण घोषित की गई। चोट क्रमांक संख्या 1, 4, 5, 6 धारदार हथियार से लगी है। चोट संख्या 2, 10, 11, 13 नुकीले और कुंद के साथ। बाकी सब कुंद से थी। चोटों की अवधि ताजा थी। पतलून और बनियान पर चोटों से संबंधित कटान नहीं था। चोटें संख्या 4, 5, 6 क्षैतिज रूप अवस्थित थीं और एक दूसरे के समानांतर थी। एक्स-रे रिपोर्ट क्रमांक एचके 171/3050 दिनांक 08.07.2002 के प्राप्त होने पर चोट संख्या 7, 8, और 9 को साधारण घोषित किया गया।''

उनके अनुसार, चोट संख्या 1, 4, 5 और 6 के कारित होने में मैत्रीपूर्ण हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कथित तौर पर, अपीलकर्ता ने संस्वीकृति दी जिससे 'एक छूरी जैसा चाकू' किंगवाह नहर के पुल के नजदीक, बुक्कनवाला रोड के पूर्वी किनारे पर रजबहा के दक्षिणी किनारे के पास, पुल से 20 करम की दूरी पर उसके गांव बुक्कनवाला क्षेत्र की झाड़ियों में बरामद हुआ।

यह कहा गया था कि सह-अभियुक्त अरविंद शर्मा के स्कूटर की डिकी से कुछ गहने बरामद किए गए थे। उसे एक भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का बयान का प्रारूप निम्नलिखित हैः

> ''मैं निर्दोष हूं। मुझे झूठा फंसाया गया है। मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध सामान्य थे और हम खुशी से रह रहे थे। मेरी पत्नी के परिवार के सदस्यों के साथ भी मेरे अच्छे संबंध थे। मेरे किसी भी महिला के साथ कोई संबंध नहीं थे। मैं और मेरी पत्नी एक कार में जा रहे थे। हमें कुछ अज्ञात लोगों ने रोक लिया और उन्होंने हम दोनों को चोटें पहुंचाईं। मैंने अपने घर पर सूचना भेजी, जो हमें मोगा अस्पताल ले

गए जहां उसकी मौत हो गई। मेरे परिवार के सदस्यों ने भी मेरी पत्नि के परिवार के सदस्यों, जो बाघापुराना में थे, को भी सूचना भेज दी। मेरी चिकित्सकीय जांच की गई। मैंने कोई खुलासा बयान नहीं दिया और न ही चाकू जैसा कोई हथियार बरामद कराया। यह मेरे खिलाफ थोपा गया था। हार और टोप्स की बरामदगी एक मनगढ़ंत मामला है। एफआईआर बयान जो दिनांक 08.07.2002 को 04 या 05 बजे के लगभग किया गया, जो मनगढ़ंत और कूटरचित था।''

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की। शिकायतकर्ता अमरजीत कौर से पीडब्लू-4 के रूप में पूछताछ की गई। उन्होंने 15.04.2003 को हुई अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन मामले का संपूर्ण समर्थन किया। उनकी जिरह टाल दी गई. यह पांच महीने की अवधि के बाद, यानी 16.09.2003 को फिर से शुरू हुई। हालाँकि, वह मुकर गई। इसी तरह, सभी तात्विक गवाहों ने हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया, लेकिन अपनी जिरह में अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया।

हालाँकि, विद्वान सत्र न्यायाधीश इसके बावजूद दोषिता के निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्होंने अपीलकर्ता को मृत्युदंड की सजा दी। आक्षेपित निर्णय के आधार पर, उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्षों की पुष्टि की।

अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने तथाकथित स्वतंत्र परिस्थितियों जो अनुसंधान एजेंसी द्वारा एकत्रित की गई, मेडिको-लीगल और पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्टों पर भरोसा किया, जो निम्नलिखित हैंः

(1) "अपीलकर्ता के अनुसार, जिस कार में युगल यात्रा कर रहे थे, उसे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने रोका था। यदि यह सही है, तो यह समझ से बाहर है कि अपीलकर्ता, जो कार चला रहा था, शत्रुतापूर्ण तत्वों के बीच से गाड़ी चलाने के बजाय, जो कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इस प्रक्रिया में उनमें से कुछ को चोटें आईं, उन्होंने कार को मुख्य सड़क से लगभग 30 फीट की दूरी पर एक कच्चे रास्ते पर खींच लिया और इस तरह हमले को आसान बना दिया।''

(2) "इसके अलावा, यह तथ्य कि सड़क पर कोई बाधा नहीं रखी गई थी जैसा कि आम तौर पर तब किया जाता है जब

कुछ लोग सड़क पर लापरवाह यात्रियों को लूटने की कोशिश कर रहे हों, यह भी कहानी की सच्चाई के खिलाफ है।"

(3) "अपीलकर्ता का दावा है कि उसने घाल कलां में अपने परिवार को सूचित किया था, जिन्होंने बदले में बाघापुराना में अमरजीत कौर को संदेश दिया था, लेकिन जो संदेश प्राप्त हुआ, उसका प्रभाव यह था कि वे एक दुर्घटना के साथ मिले थे और वहां इस बात का कोई संकेत नहीं था कि जोड़े पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था।"

(4) "तथ्य यह है कि जब मनिंदर सिंह मीना रानी के शव और घायल अपीलकर्ता को अस्पताल लाए थे, तो उन्होंने चिकित्सकों या पुलिस को उन परिस्थितियों के बारे में सूचित नहीं किया जिनमें मीना रानी की मृत्यु हो गई थी और विक्रमजीत सिंह को चोटें आईं थीं। यह भी इंगित करता है कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के समय अपीलकर्ता का रुख बाद में सोचा गया था।"

(5) "हर कोई उम्मीद करेगा कि अपीलकर्ता, जिसकी डॉ. नरेश कुमार पीडब्लू-2 द्वारा रात 10;45 बजे जांच की गई थी, ने आमतौर पर डॉक्टर से उन परिस्थितियों को पुलिस

थाना भेजने का अनुरोध किया होगा जिनमें उसे और उसकी पत्नी को चोटें आई थीं बल्कि ऐसा करने के बजाय अपीलकर्ता ने चुप रहना बेहतर समझा और पुलिस को केवल अस्पताल द्वारा भेजे गए रूक्का के माध्यम से सूचित किया गया कि मनिंदर सिंह मीना रानी का मृत शरीर लाया था।

(6) "यहां तक कि मनिंदर सिंह ने भी अनुसंधान अधिकारी को वह विवरण देने के लिए पुलिस थाना नहीं जाने का फैसला किया जो उसके भाई विक्रमजीत सिंह ने उसे दिया होगा।"

(7) "मीना रानी के ससुराल वालों के परिवार की अपनी बहू की मृत्यु और उनके बेटे को लगी चोटों पर प्रतिक्रिया भी अस्पष्ट है क्योंकि जब पुलिस पहुंची तब ससुराल के परिवार का कोई भी सदस्य अस्पताल में मौजूद नहीं था, और इसलिए, मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही में, जो रात 11:20 बजे की गई, अनुसंधान अधिकारी ने केवल यह उल्लेख किया कि अमरजीत कौर, कुसुम लता, दीपक शर्मा और सुक्खा सिंह और सम्मानित व्यक्ति शव के पास मौजूद थे और

जिन्होंने कार्यवाही में भाग लिया तथा सत्यापित किया, वे हरदियाल शर्मा के पुत्र टेक चंद और मोहन लाल पंडित के पुत्र तरसेम सिंह है, जो कि बुधसिंह वाला के निवासी है।"

(8) "दूसरे नजरिये से देखें, यदि पति और पत्नी को रास्ते में रोका गया था और सभी चोटें अमित्र हमलावरों द्वारा पहुंचाई गई थीं, मृतका और अपीलकर्ता के घायल शरीर पर चोटों का विवरण हमलावरों द्वारा पति व पत्नि के साथ किये जा रहे व्यवहार के बीच स्पष्ट असमानता दर्शाता है। मृतका पर तेज धार वाले हथियार से 23 चोटें हैं, जिसमें चोट संख्या 4 शामिल है, जिसमें ऊपरी बांह के दाहिने तरफ 8 कटे हुए घाव हैं। इन 23 चोटों में से चोटें संख्या 5 से 19 तक मृतका की छाती, स्तन और पेट के आसपास हैं और यह समझ से परे है कि एक प्यार करने वाला पति, जिसने केवल तीन महिने पहले महिला से शादी की थी, इस हमले को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करेगा और इस प्रक्रिया में उसके शरीर पर गंभीर नहीं तो उससे और अधिक गंभीर चोटें आती। मीना रानी के शरीर पर पाई गई चोटों की तुलना में देखा जाए तो अपीलकर्ता के शरीर पर जो चोटें पाई गईं, वे साधारण हैं। चिकित्सक ने केवल

चोट संख्या 7, 8 और 9 के मामले में एक्स-रे जांच कराना जरूरी समझा और रेडियोलॉजिकल जांच की रिपोर्ट आने के बाद इन चोटों को साधारण होना बताया।''

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. जसपाल सिंह ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने उक्त कथित परिस्थितियों पर भरोसा करने में गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि उनमें से कुछ अस्तित्व नहीं रखती हैं और विशिष्ठ रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनमें से कुछ परिस्थितियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के सामने नहीं रखा गया था।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विदुषी वकील श्रीमती कवलजीत कोचर अन्य बातों के साथ-साथ इस निर्णय का समर्थन किया और इस बीच तर्क दिये हैः

(1) इस बात का कोई कारण नहीं था कि अपीलकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई।

(2) अभियोजन साक्षियों के बयान पर उनके मुख्य परीक्षण की सीमा तक भरोसा किया जाना चाहिए क्योंकि वे केवल पांच महीने की अवधि के बाद पक्षद्रोही हो गए जो अप्राकृतिक है।

(3) अभियुक्त के शरीर पर चोटें न केवल सतही पाई गईं उसकी कमर या पतलून में कोई समान कट नहीं होने के कारण, यह अवश्य निर्धारित किया जाना चाहिए यह स्वयं को कारित की गयी थी।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता से सभी प्रासंगिक प्रश्न पूछे गए हैं, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा कुछ परिस्थितियों को उसके सामने रखने में लोप से वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होता।

मौजूदा मामले में, दो संस्करण हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उन दोनों की संभावना को तौला और राय दी कि अपीलकर्ता अपना मामला साबित करने में असमर्थ रहा है, अभियोजन पक्ष का मामला स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारी राय में विद्वान सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण सही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय भी इसी गलती में पड़ गया है। इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू किया, हालांकि यह राय दी गईः

> "धारा का आशय अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के भार से अभियोजन पक्ष को मुक्ति देना नहीं है। लेकिन यह धारा उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन उन तथ्यों को साबित करने में सफल

रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के संबंध में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर, कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो, जो अदालत को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके''

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने से मुक्ति नहीं देती है। केवल जब अभियोजन पक्ष का मामला साबित हो गया हो तो ऐसे तथ्यों के संबंध में भार, जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान में थे, उनके स्पष्टीकरण के लिए अभियुक्त पर अंतरित किया जा सकता है। इस नियम के कुछ अपवाद हैं उदाहरण के तौर पर एक अधिनियम के कारण भी सबूत का भार अभियुक्त पर अधिरोपित किया जा सकता है।

इस प्रकृति की परिस्थिति में जहां न्यायालय वैध रूप से एक प्रबल संदेह उठा सकता है कि अभियुक्त सभी सम्भावनाओं में एक जघन्य अपराध कारित करने का दोषी है लेकिन विधि के सिद्धान्त को लागू करने पर संदेह, हांलाकि, गंभीर हो सकता है, सबूत का प्रतिस्थापन नहीं हो

सकता, यह केवल उस निष्कर्ष की ओर ले जायेगा, कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में समर्थ नहीं रहा है।

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 एससी 1622 = [1984] 4 एससीसी 116, में इस न्यायालय ने कानून को निम्नलिखित पदों में निर्धारित किया:

153. इस निर्णय का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि अभियुक्त के विरूद्ध मामला पूर्णतया स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः-

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि संबंधित परिस्थितियों को स्थापित ''अवश्य ही या होना चाहिए'' और इसमें ''हो सकना '' नहीं आता। ''साबित किया जा सकता है'' और ''साबित होना या साबित होना चाहिए'' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी सुभिन्नता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य में निर्धारित किया, [एससीसी पैरा 19, पी. 807: एससीसी (सीआरआई) पी. 1047] जहां प्रेक्षित किया गया:

''निःसंदेह, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी हो सकता हो तथा 'हो सकता है' और 'अवश्य होगा के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है।''

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को अपवर्जित कर देना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला अवश्य ही इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छूटे और यह अवश्य दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

आगे यह प्रेषित किया:

"179. हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि यद्यपि सतही तौर पर देखा गया मामला इतना बेढब है कि प्रथम दृष्टया यह किसी भी अदालत की अंतरात्मा को झकझोर सकता है, फिर भी संदेह, चाहे वह कितना भी विराट क्यों न हो, कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता। एक नैतिक प्रतिबद्धता कितनी भी मजबूत या मौलिक क्यों न हो, कानून द्वारा समर्थित विधिक प्रतिबद्धता के समतुल्य नहीं हो सकती।

180. यह याद रखना चाहिए कि आपराधिक न्याय का सुस्थापित नियम यह है कि "अपराध जितना गंभीर होगा सबूत उतना ही अधिक होग' '। मौजूदा मामले में, एक व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता दांव पर थी। चूंकि अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया था, इसलिए बहुत सावधान, सतर्क और अवधानपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक था।"

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के समर्थन में कुछ कथित स्वतंत्र परिस्थितियों का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ ऐसी नहीं हैं जो शृंखला में क़ड़ियाँ बनाती हैं। वे ऐसी नहीं हैं जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों, जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हो कि केवल अभियुक्त और

अभियुक्त ही अकेला ऐसा था जो कथित अपराध को कर सकता था। अपीलार्थी द्वारा कैसे और किन परिस्थितियों में कार को रोका गया यह ज्ञात नहीं है। अभियुक्त अपनी चुप्पी बनाये रखने का अधिकारी था। केवल इसलिए कि उसने मुख्य सड़क से 13 फीट की दूरी पर कार रोकी, इससे खुद-ब-खुद यह निष्कर्ष नही निकलेगा कि उसने हमले को सुविधाजनक बनाने के क्रम में जानबूझकर ऐसा किया था। किसी अभियुक्त के आचरण का कारित अपराध से गठजोड़ अवश्य होना चाहिए। यह उसके आचरण के बारे में साक्ष्य का हिस्सा अवश्य होना चाहिए जो कि अपराध कारित करने के पूर्व, दौरान अथवा पश्चात का हो, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में परिकल्पित किया गया है। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया, न ही यहां प्राप्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से ऐसा कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हमलावरों द्वारा क्या सड़क पर कोई अवरोधक रखे गये थे या वहां पर रखे हुए नहीं पाये गये, भी एक प्रश्न है जो अधिक महत्व नहीं रखता है क्योंकि ऐसी कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लायी गई। यदि कुछ व्यक्ति सड़क पर खड़े हो जाते हैं यह ड्राइवर के लिए अपने वाहन को रोकने के लिए पर्याप्त हो सकता है। किसी भी स्थिति में, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता से उसकी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था।

केवल यह सूचना क्यों दी गई कि दुर्घटना हुई है जो कि वास्तव में एक डकैती थी, यह फिर से एक ऐसा मामला है जो अभियुक्त की दोषिता की ओर इशारा नहीं करता है। किसी के द्वारा सूचना एक प्रेस रिपोर्टर को दी गई थी। वह शायद खुलासा नहीं करना चाहता हो कि मृतका मर चुकी है या उस समय उसका पति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। यह आचरण का एक कुदरती तरीका है। किसी भी घटना में किसी तीसरे व्यक्ति का आचरण पूरी तरह से अप्रासंगिक है जब तक कि उसका अपराध को साबित करने में सीधा संबंध न हो।

ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी कि जब अपीलकर्ता का भाई मनिन्दर सिंह मीना रानी के मृत शरीर और अपीलकर्ता को अस्पताल लाया हो और उसने घटना के आसपास की परिस्थितियों के बारे में जिसमें घटना घटी, डॉक्टरों को सूचित नहीं किया हो परन्तु फिर से यह अपीलकर्ता के भाई के आचरण से संबंधित है ना कि अपीलकर्ता के आचरण से। मनिन्दर सिंह को परीक्षित नहीं किया गया है, चिकित्सक को परीक्षित किया गया परन्तु अभियोजन ने मनिन्दर सिंह के आचरण के संबंध में या अन्यथा उनसे कोई प्रश्न नही पूछा। हालाँकि, हमने पहले ही देखा है कि पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया गया था और वे अस्पताल आए थे। केवल अमरजीत कौर का कथन अस्पताल में अभिलिखित किया गया था। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं था कि पुलिस को बिल्कुल भी सूचित नहीं

किया गया। अपीलकर्ता द्वारा पी.डब्ल्यु 2 डॉक्टर नरेश कुमार से पुलिस को सूचित न करने के अनुरोध का कथित आचरण उन परिस्थितियो के संबंध में जिसमें उसे और उसकी पत्नी को चोटें आईं, फिर से ऐसी परिस्थितिया नहीं है जो अभियुक्त की दोषिता की ओर इशारा करती हो।

इसके अलावा, हो सकता है कि मनिन्दर सिंह पुलिस के पास नहीं गया हो परन्तु तथ्यों के अनुसार वह उनको अस्पताल लेकर आया था, यह अनुसंधान अधिकारी के लिए था वह उसका बयान अभिलिखित करें।

अपीलकर्ता की दोषिता को साबित करने के लिए परिवार की प्रतिक्रिया फिर एक मामला है जो ज्यादा महत्व नहीं रखता। यह उन परिस्थितियों की ओर नहीं ले जाती जो श्रृंखला की कड़ी बनाती हो। फिर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता से उसकी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अपीलकर्ता के शरीर पर पायी गई चोटों की प्रकृति, हमारी राय में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी नहीं बनाती जो अभियोजन के मामले को साबित कर सके। चिकित्सक का मानना है कि चोटें क्रमांक 1, 4, 5 और 6 मित्रवत कारण से हो सकती हैं लेकिन अन्य चोटों के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं बताया है। निचली अदालतों ने उसके प्रभाव पर विचार नहीं किया है।

इसके अलावा, जैसा कि यहां पूर्व में देखा गया है, अभियोजन पक्ष के गवाह मुकर गए हैं। यह उनकी ओर से बेईमानी का कार्य हो सकता है जैसा कि सुश्री कोचर के द्वारा तर्क दिया है परन्तु केवल इस कारण से हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि अपीलकर्ता एक जघन्य अपराध को कारित करने का दोषी है। उनके जिरह में किये गये कथनों के विचार में जो कुछ उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में कहा गया उसको पूरी तरह खारिज कर देते है, उनके कथनों के एक भाग पर भरोसा करना संभव नहीं है।

यह अब कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन के अनुसार वे परिस्थितिया जो अभियुक्त के विरूद्ध दोषिता के सबूत की ओर ले जाती है, उनको अभियुक्त की धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षण में उसके सम्मुख रखा जाना चाहिए ऐसा नहीं किया गया।

तारा सिंह बनाम राज्य, एआईआर (1951) एससी 441, में, कानून निम्नलिखित पदों में बताया गया हैः

> " उच्च न्यायालय ने भी अपने निष्कर्ष कृपाण को पेश करने और अपीलकर्ता से शर्ट की बरामदगी से उत्पन्न परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किये है। उन वस्तुओं को मानव रक्त से सना हुआ कहा गया। अपीलकर्ता से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा गया था।

जब अपीलकर्ता से कमिटिंग मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ की गई तब सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए, उससे कृपाण पर मानव रक्त के धब्बों की उपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सका। उससे केवल इतना पूछा गया था कि क्या रक्त से सना कृपाण उसके हवाले से बरामद किया गया था। यह पर्याप्त नहीं है। उससे यह भी पूछा जाना चाहिए था कि क्या वह इस पर खून के धब्बों की उपस्थिति को स्पष्ट कर सकता है, दोनों समान नहीं हैं। तत्समय, सत्र न्यायालय में इंपीरियल सेरोलॉजिस्ट की अतिरिक्त साक्ष्य थी, जो दिखाती हैं कि कृपाण पर मानव रक्त के धब्बे थे। यह एक अतिरिक्त और बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य था जिसे स्पष्ट करने का अवसर अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए था।''

अपीलकर्ता द्वारा की गई कथित स्वंस्वीकृति के अनुरूप एक चाकू बरामद किया गया। कथन साक्ष्य में स्वीकार्य था परन्तु चाकू घटना स्थल से बरामद हुआ था जो तथ्य की एक खोज की कोटि में आता है और इससे अधिक कुछ नहीं था, इसलिए यह ज्यादा साक्ष्यिक मूल्य नहीं रख सकता। [देखें कोरा घासी बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1983 एससी 360 : [1983] 2 एससीसी 251]

इसके अलावा, अकेले चाकू की बरामदगी दोषिता के निष्कर्ष पर पहूॅचने के पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि कुछ आभूषण अभियुक्त संख्या 2 से बरामद किए गए हों परन्तु ऐसी बरामदगी अपीलकर्ता के हवाले से नहीं की गई थी। इसे एक सांयोगिक बरामदगी कहा गया। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त संख्या 2 अपीलकर्ता को जानता था। पी. डब्ल्यू. 8 अमरजीत सिंह जिसने बरामदगी यह कहते हुए साबित की है, कि अरविन्द शर्मा अपना स्कूटर छोड़कर भाग गया। फिर भी पी.डब्ल्यू 4 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इनकार किया है कि कथित आभूषण मृतका ने अपने शरीर पर पहने हुए थे।

हमने यहां पहले देखा है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों दो दृष्टिकोणों की संभावनाओं की तुलना करने के लिए आगे बढ़े। अब यह किसी भी छिद्रान्वेंषन से परे है कि जहां एक कहानी के दो दृष्टिकोण संभावित प्रतीत होते हैं, तो वहां अभियुक्त द्वारा उठाये गये तर्क को स्वीकार किया जाना चाहिए।[देखें के. गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [1979] 1 एससीसी 355, शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [1984] 4 एससीसी 116, तोता सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1987) एससी 1083, दिवाकर नीलकंठ हेगड़े और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, जेटी (1996) 7 एससी 63, उड़ीसा राज्य बनाम बाबाजी

चरण मोहंती और अन्य, [2003] 10 एससीसी 57 और हेम राज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, [2005] 10 एससीसी 614]

ऊपर विवेचित स्थिति में, हमारे पास विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के दृष्टिकोणों के साथ अपनी असहमति व्यक्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। अपील स्वीकार की जाती है। यदि अपीलकर्ता किसी अन्य मामले में वांछित ना हो तो उसे रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

एन.जे. अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमित कुमार कड़वासरा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।